**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 96**
**18.07.2022 को उत्तर के लिए**

**पीईटी बोतलों का आयात**

**96. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:**
**डॉ.बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:**
**श्री श्रीधर कोटागिरी:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2019 में देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में देश में प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक कचरे के रूप में पीईटी बोतलों के आयात की अनुमति दी है;

(ग) प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाने और पीईटी बोतलों के आयात की अनुमति देने का क्या कारण है; और

(घ) देश में सालाना 14 लाख टन से अधिक पीईटी प्लास्टिक की खपत को देखते हुए सरकार द्वारा ऐसे कचरे को आयात करने के बजाय देश में पीईटी प्लास्टिक के संग्रह को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (घ) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमावली 2016 को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक्पोर्ट ओरियेन्टिड यूनिटों (इओयू) सहित देश में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात को निषिद्ध करने के लिए 1 मार्च 2019 में संशोधित किया गया था। आयात को घरेलू संग्रहण और पोलीथीन टेरीपेथालेट (पीईटी) सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

हालांकि स्थिति की बाद में समीक्षा की गई और पीईटी के आयात को अनुमत करने के लिए नियमावली को नवंबर 2021 में संशोधित किया गया था। पीईटी पुनर्चक्रण इकाईयों की अपशिष्ट उपलब्धता में अंतराल को भरने के लिए पीईटी आयात को अनुमत किया गया था जो बदले में सूत

विनिर्माणकारी इकाईयों को कच्ची सामग्री प्रदान करती है। पीईटी अपशिष्ट के 90% से अधिक संग्रहण के बावजूद पुनर्चक्रण ईकाईयों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट की कच्ची सामग्री की कमी थी। औचित्य यह है कि पीईटी पुनर्चक्रण उद्योग, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य आधार है और जहां तक उपलब्ध घरेलू अपशिष्ट को एकत्रित और पुनर्चक्रित किया जा रहा है, उद्योग का विकास कच्ची सामग्री की कमी के कारण बाधित नहीं होना चाहिए।

नीति में प्रावधान है कि केवल वैध प्राधिकार वाले और संचालन की स्वीकृति रखने वाले वास्तविक पुनर्चक्रकों को ही आयात की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपशिष्ट का प्रणालन प्रयोजन अनुसार किया जा रहा है। इसके साथ केवल पुनर्चक्रण क्षमता में अंतराल को भरने के लिए ही आयात प्रमात्रा को अनुमत किया गया है न कि घरेलू अपशिष्ट प्रसंस्करण का प्रतिस्थापन करने के लिए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के द्वारा पीईटी सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पादक, आयातकों और ब्रांड मालिकों का प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए ईपीआर उत्तरदायित्व होगा। वे ईपीआर के तहत संग्रहीत प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण (उपयोग समाप्ति के पश्चात् निपटान को छोड़कर) का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करेंगे। ईपीआर के तहत संग्रहीत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर के प्रर्वतनीय आदश से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी।

*********